

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक- 4-1009 (NREGA)/2009/ग्रा0वि0(खण्ड-II) (अब) 672 राँची, दिनांक 6-4-16

प्रेषक,

मनरेगा आयुक्त,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

विषय: मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि ग्रामीणों द्वारा योजना बनाओ अभियान के दौरान बड़ी संख्या में योजनाओं का चयन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में जल संरक्षण व आजीविका वर्धन की योजनाएं शामिल हैं। यह आशा की जाती है कि योजना बनाओ अभियान में चयनित सभी मनरेगा योजनाओं की NREGASoft में निदेशानुरूप शत-प्रतिशत प्रविष्टि कर ली गयी होगी।

2. अभियान के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि राज्य के लगभग 55% ग्रामीण परिवारों ने काम की मांग की है। यह अत्यंत दुःखद है कि अभी भी राज्य के अधिकांश टोलों-गांवों में योजनाएं कार्यान्वित नहीं हैं। यह अतिआवश्यक है कि प्रत्येक टोले-गाँव में ग्रामीणों की काम की मांग, ज़रूरत व प्राथमिकता अनुसार तुरंत बड़े स्तर पर मनरेगा योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया जाए।

3. मार्च महीने के अंतिम दिनों में रोजगार सृजन की समीक्षा से उसमें भारी गिरावट देखने में आई है। राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए यह चिंताजनक है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निदेश दिया गया है कि मनरेगा योजनाओं में अधिकाधिक काम उपलब्ध कराया जाए एवं जल संरक्षण विशेषकर डोभा/ फार्म पाण्ड/पोखर संबन्धित योजनाओं को अविलंब प्रारम्भ करते हुए 15 जून तक उन्हें पूर्ण कराया जाय।

4. मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति व कार्यान्वयन को सहज करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनके अनुसार शीघ्र योजनाओं की स्वीकृति व कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

- योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए निम्नवत seasonality calendar का अनुसरण करें:-

मौसम	अवधि	योजनाओं का प्रकार
Pre - monsoon	मार्च से जून	डोभा, पोखर, तालाब, स्टैगर्ड ट्रेंच, 30X40 मॉडल, गली प्लगिंग, लूज बोल्टर स्ट्रक्चर, भूमि समतलीकरण व मेढबंदी, वृक्षारोपण के लिए pit-digging, कच्ची सड़क आदि
Monsoon	जुलाई से सितम्बर	भूमि समतलीकरण व मेढबंदी, स्टैगर्ड ट्रेंच, 30X40 मॉडल, बकरी शेड, मुर्गी शेड, गाय के लिए पक्का फर्श व मूत्र टैंक, वृक्षारोपण (pit-digging के बाद की गतिविधियाँ) आदि
Post - monsoon	अक्टूबर से फरवरी	कुआँ, स्टैगर्ड ट्रेंच, 30X40 मॉडल, गली प्लगिंग, लूज बोल्टर स्ट्रक्चर, भूमि समतलीकरण व मेढबंदी, डोभा, पोखर, तालाब, कच्ची सड़क आदि

- इस seasonality कैलेंडर के अनुसार योजनाओं को तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति देनी है। माननीय मुख्यमंत्री की सोच “खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में” के अनुसार वर्षा ऋतु से पहले जल संरक्षण की योजनाओं जैसे डोभा, पोखर, तालाब आदि की स्वीकृति एवं निर्माण को प्राथमिकता देनी है। अभियान में पूरे राज्य में 1.3 लाख डोभों, पोखरों व तालाबों का मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया है। यह अनिवार्य है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में ये सभी जल संरक्षण संबन्धित योजनाएं अवश्य पूर्ण कर ली जाय।
- ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक योजना श्रेणी (Category) में तय प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक श्रेणी (Category) में वंचित परिवारों के लिए चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि चालू (Ongoing) योजनाओं का कार्यान्वयन उपर्युक्त seasonality calendar से प्रभावित नहीं होगा।
- ग्रामीणों की काम की मांग को पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा shelf of works से योजनाओं को seasonality व ग्राम सभा की प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी शीघ्र ग्राम पंचायतों को जून माह तक की काम की मांग को पूर्ण करने के लिए shelf of works से पर्याप्त योजनाओं का चयन करने के लिए बैठक करने का अनुरोध करें।

- ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति shelf of works से योजनाओं को निम्नलिखित तथ्यों के मद्दे नज़र चयनित करेगी:
 - seasonality calendar
 - ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक category में तय की गई प्राथमिकता
 - प्रत्येक category में वंचित परिवारों की योजनाओं को प्राथमिकता
 - जून माह तक ग्रामीणों की काम की मांग को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक गाँव/टोला में पर्याप्त संख्या में योजनाओं को खोलने की आवश्यकता
- इसी प्रकार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति मई-जून के माह में जुलाई से सितम्बर में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं एवं अगस्त-सितम्बर माह में अक्टूबर से मार्च में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं को shelf of works से चयनित करेगी।
- ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति योजनाओं की सूची बनाएं व पंचायत सेवक/ग्राम रोज़गार सेवक को योजना-वार अभिलेख बनाने का निर्देश दे। ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन करके योजनाओं का अभिलेख बनाया जाएगा।
- छोटी निजी योजनाओं (एक लाख रुपए से कम प्राक्कलित राशि वाली सभी योजनाएं व 1.5 लाख रुपए तक की प्राक्कलित राशि वाली डोभा,पोखर व तालाब की योजनाएं) की स्वीकृति के लिए अंचल कार्यालय (व अंचल कार्यालय के कर्मचारी और पदाधिकारियों) द्वारा ज़मीन के मालिकाना हक के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवश्यक विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ज़मीन मालिक द्वारा योजना व ज़मीन के मालिकाना हक सम्बंधित एक घोषणा पत्र दी जाएगी जिसका सत्यापन उनके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा किया जाएगा। इन योजनाओं के अभिलेख संधारण में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
 - लाभुक द्वारा अनुलग्नक 1 अनुसार घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसका सत्यापन उनके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा किया जाएगा।
 - राजस्व नक्शा की एक प्रति जिसका सत्यापन उनके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा किया जाएगा। राजस्व नक्शा न उपलब्ध होने पर नज़री नक्शा से भी काम चलाया जा सकेगा।

- खतियान की एक प्रति अथवा माल गुजारी रसीद जिसका सत्यापन उनके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा किया जाएगा।
 - योजना स्थल पर लाभुक के साथ photograph की एक प्रति।
 - तकनीकी प्रतिवेदन (मानक प्रारूप अनुलग्नक 2 में संलग्न)।
 - अनुलग्नक 3 अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के लिए चेक स्लिप।
 - योजनाओं का अभिलेख अनुलग्नक 4 में दिए प्रारूप अनुसार संधारण किया जा सकता है।
 - इन प्रपत्रों को जिलों एवं प्रखंडों द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध कराया जाय। इसकी सॉफ्ट प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग, नरेगा एवं योजना बनाओ अभियान के वैबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
 - अभिलेख संधारण में होने वाले व्यय जैसे फोटोग्राफ, छायाप्रति इत्यादि, मनरेगा के प्रशासनिक मद से किया जाएगा।
- इन योजनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं के लिए अंचल पदाधिकारी द्वारा ज़मीन सत्यापन किया जाएगा। अगर ग्रामीणों द्वारा ऐसी छोटी योजना गैर मजरुआ ज़मीन पर प्रस्तावित है, तो उस योजना स्थल का सत्यापन भी अंचल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा व योजना को सामुदायिक योजना अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। अगर सामुदायिक योजना ग्रामीणों के निजी ज़मीन पर बनें, तो उनसे अनुलग्नक 5 अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) लिया जाएगा।
 - प्रत्येक अभिलेख के साथ ग्राम सभा द्वारा योजना पारित करने संबंधी प्रस्ताव की प्रति लगानी आवश्यक नहीं है। ग्राम सभा के प्रस्ताव की एक प्रति व ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति के लिए चयनित योजनाओं की सूची पंचायत भवन व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पास उपलब्ध होना सुनिश्चित कराया जाय।
 - एक लाख रुपए से कम प्राक्कलित राशि वाली सभी योजनाएं व 1.5 लाख रुपए तक की प्राक्कलित राशि वाली डोभा,पोखर व तालाब की योजनाएं यदि स्वीकृत मोडेल प्राक्कलन अनुसार ली जानी प्रस्तावित हों तो अनु० - 2 अनुसार कनीय अभियंता का तकनीकी प्रतिवेदन पर्याप्त होगा। सहायक अभियंता उनके post-facto समीक्षा के लिए जिम्मेवार होंगे। त्रुटि पाये जाने पर कनीय अभियंता से राशि वसूली सहित अन्य कार्रवाइयाँ की जा सकेगी। अन्य योजनाओं का तकनीकी प्राक्कलन राज्य द्वारा प्रेषित model अनुसार कनीय अभियंता द्वारा बनाया जायेगा जिसपर सहायक अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

- प्रखंड विकास पदाधिकारी योजनाओं के अभिलेख संधारित होने के पश्चात् एवं योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् सभी योजनाओं (यदि प्रत्येक योजना की प्राक्कलित राशि 10 लाख रु० से कम हो) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। अगर किसी योजना की प्राक्कलित राशि 10 लाख रु० से अधिक हो, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जून माह तक के लिए सभी टोलों-गांवों के लिए पर्याप्त संख्या में योजनाओं को स्वीकृत किया जाए। इसके पश्चात् कार्यान्वित होने वाली योजनाओं को मई-जून महीने में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी योजनाओं की पंचायत वार प्रशासनिक स्वीकृति आदेश (जिसमें योजनाओं का नाम, योजनाओं का workcode, राजस्व ग्राम का नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, योजना की कुल स्वीकृत राशि का व्योरा आदि) एक अग्रसारण पत्र में समेकित रूप से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन सूचियों (उपरोक्त विवरण के साथ) का पंचायत भवन व अन्य सामुदायिक भवनों पर दीवाल लेखन किया जाएगा।
- प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् सभी योजनाओं को NREGASoft में "proposed not yet approved" श्रेणी (Category) से हटाकर "approved not yet started" श्रेणी (Category) में प्रविष्टि कराएं।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि इन निर्देशों से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अवगत कराएं जो यथाशीघ्र ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समितियों को उपरोक्त विषय में बैठक करने का अनुरोध करें एवं इस पत्र की प्रति सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गदर्शिका अनुसार शीघ्र योजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित कराएं व 10 अप्रैल तक प्रत्येक गाँव व PESA क्षेत्र में प्रत्येक टोले में ग्रामीणों की काम की मांग अनुसार पर्याप्त संख्या में योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ कराएं। यह भी सुनिश्चित कराएं कि वर्षा से पहले छोटी जल संरक्षण की योजनाएं जैसे डोभा, पोखर व तालाब का कार्यान्वयन पूर्ण हो जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मन्मोहन आयुक्त।

ज्ञापांक- 4-1009(NREGA)/2009/ग्रा0वि0(खण्ड-II) (N) 672 राँची, दिनांक 6-4-18
प्रतिलिपि- सभी उपायुक्त/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त।
6/4/18

ज्ञापांक- 4-1009(NREGA)/2009/ग्रा0वि0(खण्ड-II) (N) 672 राँची, दिनांक 6-4-18
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त।
6/4/18

अनुलग्नक 1 - घोषणा-पत्र

(यह प्रपत्र केवल वैसी योजना के लिए भरना है जो व्यक्तिगत है व 1 लाख रूपए से कम की प्राकृतिक राशि की है अथवा व्यक्तिगत डोभा/पोखर/तालाब की योजना है व 1.5 लाख रूपए से कम की प्राकृतिक राशि की है)

मैं पिता/पति

गाँव ग्राम पंचायत प्रखंड

जिला का/की स्थायी निवासी हूँ।

वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा द्वारा मेरी / पुस्तेनी जमीन पर मनरेगा अंतर्गत किर्यान्वयन हेतु योजना

..... का चयन किया गया है, जिसका खाता संख्या....., खसरा संख्या..... एवं रकबा..... है. मैं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / घुमंतु जनजाति / अधिसूचना में से निकली गई जनजातियाँ / गरीबी रेखा से नीचे का परिवार / महिला प्रधान वाला परिवार / शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाला परिवार / भूमि सुधार का हितग्राही / इंदिरा आवास योजना का लाभार्थी / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हितग्राही / लघु किसान (2.5 - 5 एकड़ रकबे ज़मीन पर खेती करते हों) / सीमान्त किसान (2.5 एकड़ या उससे कम रकबे ज़मीन पर खेती करते हों) से आता/आती हूँ। मेरा जाँब कार्ड संख्या..... है। चयनित कार्य के क्रियान्वयन से मेरे परिवार की आजीविका वृद्धि में सहयोग होगा।

योजना स्थल के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि :

- योजना स्थल मेरी रैयती जमीन है एवं पूर्णतः मेरे दखल में है।
- किसी प्रकार का भूमि सम्बंधित विवाद नहीं है।
- यह जमीन गैर-मजरुआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित जमीन नहीं है।
- मनरेगा श्रमिक इसमें काम कर सकते हैं; इससे मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
- प्रस्तावित योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और स्वयं इसके लिये जिम्मेवार हूँगा।

स्थान: दिनांक:

लाभुक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

सत्यापन पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। यह योजना ग्राम सभा द्वारा दिनांकको पारित किया गया है एवं ग्राम सभा पंजी संख्या..... की पृष्ठ संख्या..... की योजना प्राथिकता संख्यापर अंकित है।

प्रस्तावित योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। योजना की ज़मीन गैर-मजरुआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित ज़मीन नहीं है। इसमें यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये मैं जिम्मेवार हूँगा तथा मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान: दिनांक: वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर

PESA क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम-प्रधान का हस्ताक्षर

अनुलग्नक 2: तकनीकी प्रतिवेदन प्रारूप

ज़िला: / _____ /; प्रखंड: / _____ /

ग्राम पंचायत: / _____ /; राजस्व गाँव: / _____ /; टोला: / _____ /

योजना का नाम: / _____ /

योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): / _____ /

यह प्राक्कलन वार्षिक कार्य योजना वित्तीय वर्ष / _____ / के आधार पर स्थल निरीक्षणोपरांत वर्तमान में प्रभावित अनुसूची दर एवं प्रभावित मजदूरी दर रूप / _____ / प्रतिदिन के आधार पर तैयार किया गया है।

ज़मीन से संबंधित प्रतिवेदन - 1 - 1.5 लाख तक की व्यक्तिगत योजना के लिए अनु० - 1 तथा अन्य योजना हेतु अंचल प्रतिवेदन अलग से संलग्न हैं, जिसके अनुसार प्रस्तावित प्लॉट का खाता संख्या / _____ /, प्लॉट संख्या / _____ /, एवं ज़मीन की इकाई / _____ / है।

इस योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।

योजना की प्राक्कलित राशि:

मजदूरी (अकुशल): रु / _____ /

सामग्री: [अर्धकुशल मजदूरी: रु / _____ /; कुशल मजदूरी: रु / _____ /; सामग्री: रु / _____ /]

आकस्मिकता (contingency): रु / _____ /

कुल: रु / _____ /

योजना के कार्यान्वयन में अनुमानित मानव दिवस: / _____ /; मजदूरी-सामग्री का अनुपात: / _____ /

योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त तकनीकी प्राक्कलन संलग्न है।

कनीय अभियंता का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

सहायक अभियंता का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

अनुलग्न 3: योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए चेक स्लिप

ज़िला: / _____ /; प्रखंड: / _____ /

ग्राम पंचायत: / _____ /; राजस्व गाँव: / _____ /; टोला: / _____ /

योजना का नाम: / _____ /

योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): / _____ /

लाभुक की जानकारी

लाभुक का नाम (अगर व्यक्तिगत योजना है): / _____ /

लाभुक का जॉब कार्ड संख्या (अगर व्यक्तिगत योजना है): / _____ /

अगर व्यक्तिगत योजना है, तो लाभुक इनमें से कौन कौन सी श्रेणियों में आता है (1-1.5 लाख रुपए तक की योजना के लिए अनु० -1 के अनुरूप व अन्य योजना के लिए अंचल प्रतिवेदन अनुरूप उपर्युक्त श्रेणियों पर "√" का निशान लगाए):

अनुसूचित जाति (SC): / _____ /; अनुसूचित जनजाति (ST): / _____ /; घुमंतु जनजाति: / _____ /; अधिसूचना में से निकली गई जनजातियाँ: / _____ /; गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का परिवार: / _____ /; महिला प्रधान वाला परिवार / _____ /; शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाला परिवार: / _____ /; भूमि सुधार का हितग्राही: / _____ /; इंदिरा आवास योजना (IAY) का लाभार्थी: / _____ /; अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हितग्राही: / _____ /; लघु किसान (2.5 - 5 एकड़ रकबे ज़मीन पर खेती करते हों) / _____ /; सीमान्त किसान (2.5 एकड़ या उससे कम रकबे ज़मीन पर खेती करते हों) / _____ /

ग्राम सभा प्रस्ताव का विवरण

ग्राम सभा की तिथि (जिस बैठक में यह योजना पारित हुई है): / _____ /

ग्राम सभा पंजी संख्या (जिसमें इस योजना का प्रस्ताव लिखा गया है): / _____ /

ग्राम सभा पंजी की पृष्ठ संख्या (जिसपर इस योजना का प्रस्ताव लिखा गया है): / _____ /

कौन सी तारीख को इस योजना का प्रस्ताव हुआ है: / _____ /; योजना प्राथमिकता संख्या: / _____ /

योजना की ज़मीन का विवरण

ज़मीन का क्षेत्रफल (रकबा): एकड़ / _____ /; खाता संख्या: / _____ /; प्लॉट संख्या: / _____ /

ज़मीन का किस्म (उपर्युक्त श्रेणियों पर "√" का निशान लगाए): निजी: / _____ /; गैर मजरुआ: / _____ /; सरकारी ज़मीन: / _____ /; अन्य (स्पष्ट करें _____): / _____ /

योजना की प्राक्कलित राशि अनु० के अनुरूप

मज़दूरी (अकुशल): रु / _____ /;

सामग्री: [अर्धकुशल मज़दूरी: रु / _____ /; कुशल मज़दूरी: रु / _____ /; सामग्री: रु / _____ /]

आकस्मिकता (contingency): रु / _____ / कुल: रु / _____ /

योजना की अन्य जानकारी

अनुमानित मानव दिवस: / _____ /; मज़दूरी दर: रु / _____ /; मज़दूरी-सामग्री का अनुपात: / _____ /

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. योजना से सम्बंधित भूमि प्रतिवेदन (1 - 1.5 लाख तक की व्यक्तिगत योजना हेतु अनु० - 1 एवं अन्य हेतु अंचल प्रतिवेदन) संलग्न है।
2. इस योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी मद से कार्य नहीं हुआ है।
3. योजना में किसी भी प्रकार का duplication of work नहीं है।
4. योजना के प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. योजना का प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण मुक्त है।
6. योजना का प्राकल्लन स्थल निरीक्षण करने के बाद तैयार किया गया है।
7. योजना का प्राकल्लन सरकार द्वारा निर्धारित मनरेगा मज़दूरी दर पर तैयार किया गया है।
8. योजना के प्रस्तावित स्थल पर लाभुक के साथ फोटो अभिलेख में संलग्न है।

तकनीकी स्वीकृति संख्या: / _____ /; तकनीकी स्वीकृति देने की तिथि: / _____ /

ग्राम पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

कनीय अभियंता / सहायक अभियंता का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /




अनुलग्नक 4: योजना अभिलेख का सुझावित प्रारूप

ज़िला: / _____ /; प्रखंड: / _____ /
 ग्राम पंचायत: / _____ /; राजस्व गाँव: / _____ /; टोला: / _____ /
 योजना का नाम: / _____ /
 योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): / _____ /

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के विषय में टिपण्णी (तारीख के साथ)
1	2	3
<p style="text-align: center;">ग्राम पंचायत कार्यालय</p> <p style="text-align: center;">प्रखण्ड</p> <p>मनरेगा श्रमिकों को उनकी मांग के अनुरूप ससमय रोजगार मुहैया कराने के लिए निमित्त योजना का कार्य प्रारंभ कराने हेतु अभिलेख के संधारण के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं यथा प्राकल्लन तैयार करना, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना एवं अन्य अपेक्षित प्रतिवेदन आवश्यक है।</p> <p>(अगर योजना व्यक्तिगत है व 1 लाख रुपए से कम की प्राक्कलित राशि की है अथवा व्यक्तिगत डोभा, पोखर व तालाब की योजना है व 1.5 लाख रुपए से कम की प्राक्कलित राशि की है।)</p> <p>वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम में ग्राम सभा द्वारा योजना</p> <p>.....</p> <p>प्राथमिकता के आधार पर दिनांक को पारित की गई है। इस योजना को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक को ग्राम पंचायत के shelf of works से यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया। अनुलग्नक-1 के अनुसार लाभुक का घोषणा पत्र जो वार्ड सदस्य/ पारंपरिक ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित प्राप्त है। अतः योजना की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त करने हेतु व प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजें।</p> <p>लेखापित</p> <p>पंचायत सचिव</p>	<p style="text-align: center;">मुखिया</p> <p style="text-align: center;">(उपरोक्त कोटि से भिन्न योजना)</p> <p>वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम में ग्राम सभा द्वारा योजना</p> <p>.....</p> <p>प्राथमिकता के आधार पर दिनांक को पारित की गई है। इस योजना को ग्राम</p>	

पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक को ग्राम पंचायत के shelf of works से यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया।

योजना संबंधित भूमि प्रतिवेदन अंचलाधिकारी के पत्रांक संख्या से प्राप्त हुई। अतः योजना की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजें।

लेखापित

पंचायत सचिव

मुखिया

प्रखंड कार्यालय

ज़िला

अभिलेख उपस्थापित किया गया. योजना के प्राक्कलन एवं तकनीकी प्रतिवेदन/ स्वीकृति के लिए कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता को निर्देश दिया जाता है।

लेखापित

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

प्रखंड कार्यालय

ज़िला

(अगर योजना 10 लाख रु० से कम प्राक्कलित राशि की है)

अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जो संतोषजनक है। योजना की तकनीकी स्वीकृति कनीय/सहायक/कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई है जिसकी कुल मद राशि रुपए है। अतः उपरोक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है। योजना का क्रियान्वयन यथाशीघ्र शुरू करने की दिशा में काम किया जाए।

लेखापित

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

(अगर योजना 10 लाख रु० से अधिक प्राक्कलित राशि की है)

अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जो संतोषजनक है। योजना की तकनीकी स्वीकृति कनीय/सहायक/कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई है जिसकी कुल मद राशि रुपए है। अतः अतः उपरोक्त योजना को जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला को भेजें।

लेखापित

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी



अनुलग्नक 5: अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(यह प्रपत्र केवल वैसी सामुदायिक योजनाओं के लिए है, जो निजी ज़मीन पर बनेंगी)

मैं/हम (सामुदायिक योजना-स्थल के ज़मीन मालिक)

गाँव ग्राम पंचायत
प्रखंड ज़िला के स्थायी निवासी है.

वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा द्वारा हमारी/मेरी ज़मीन पर मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु योजना का चयन किया गया है, जिसका खाता संख्या प्लॉट संख्या एवं रकवा है. इस योजना का कार्यान्वयन इच्छुक मजदूरों को रोज़गार देने हेतु अतिआवश्यक है. यह योजना जनोपयोगी है एवं उक्त योजना के निर्माण से ग्राम के लिए स्थाई संपदा का निर्माण होगा.

योजना स्थल के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि :

1. योजना स्थल हमारी रैयती जमीन है एवं पूर्णतः हमारे दखल में है.
2. योजना स्थल पर किसी प्रकार का भूमि सम्बंधित विवाद नहीं है.
3. योजना स्थल की ज़मीन गैर-मजरुआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित ज़मीन नहीं है.
4. योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।
5. मनरेगा श्रमिक इस योजना में काम कर सकते हैं, इसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है.
6. योजना समाप्त होने के उपरांत सभी ग्राम वासी इस योजना को इस्तेमाल कर सकते हैं.

हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण हमारी समझ से पूर्णतः सत्य है. भविष्य में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो हमारे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और स्वयं इसके लिये जिम्मेवार होंगे।

ज़मीन मालिक का नाम (सभी सम्बंधित ज़मीन मालिकों का नाम लिखें)	ज़मीन मालिक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान(सभी सम्बंधित ज़मीन मालिकों का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लें)

स्थान: दिनांक:

सत्यापन रसीद

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। यह योजना ग्राम सभा द्वारा दिनांक को पारित किया गया है एवं ग्राम सभा पंजी संख्या की पृष्ठ संख्या की योजना प्राथिकता संख्या पर अंकित है।

✓

✓

प्रस्तावित योजना जन कल्याणकारी है व योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। योजना की ज़मीन गैर-मजरुआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित ज़मीन नहीं है। इसमें यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये मैं जिम्मेवार हूँगा तथा मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

वार्ड सदस्य / ग्रामपंचायत मुखिया / PESA क्षेत्र में पारंपरिक ग्रामप्रधान का हस्ताक्षर

स्थान: दिनांक:

✓

✓